

“ALERT TODAY – ALIVE TOMORROW”

It is an appeal to all the inhabitants of Shimla to obey traffic rules and safety measures because

Safety starts with “S” and begins with “You”.

It is a request to exercise utmost care and caution on the road by following the below mentioned rules while driving:-

- ❖ Wear proper seat belt while driving, for your safety.



- ❖ Wear ISI marked helmets only while driving/riding on two wheelers.



- ❖ Do not use mobile phone while driving.




- ❖ Do not over speed the vehicle. Always drive the vehicle within the speed limit.



- ❖ Do not park your vehicle (in idle situation) in no parking zone, causing traffic jams and inconvenience to public.



- ❖ Always keep the important documents viz. RC, DL, Insurance etc. with you while driving.



- ❖ Do not use extra lights or any other aftermarket modifications in your vehicle which is strictly prohibited by law.

- ❖ Do not drive the vehicle in drunken state.



**“PREPARE & PREVENT,
DON'T REPAIR & REPENT”**

Issued by the Traffic Court, Shimla & Kinnaur

As a responsible citizen forward this message to make your city safe and secure.

“सावधानी आज - ज़िंदा कल”

यह शिमला के सभी निवासियों को आवागमन नियमों और सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए अपील है क्योंकि

सुरक्षा "आप" से शुरू होती है।

आप से अनुरोध है कि ड्राइविंग करते समय नीचे दिए गए नियमों का पालन करके सड़क पर अत्यंत सावधानी बरतें :-

- ❖ अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइविंग करते समय उचित तरीके से सीट बेल्ट पहनें।



- ❖ दो पहिया वाहनों पर ड्राइविंग / सवारी करते समय केवल आईएसआई मान्यता प्राप्त हेलमेट ही पहनें।



- ❖ ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें।



- ❖ वाहन को तीव्र गति से न चलाएं, हमेशा गति सीमा के भीतर वाहन चलाएं।



- ❖ अपने वाहन (निष्क्रिय स्थिति में) को नो-पार्किंग क्षेत्र में पार्क न करें, जिससे ट्रैफिक जाम और जनता के लिए असुविधा हो।



- ❖ ड्राइविंग करते समय महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि आरसी, डीएल, बीमा आदि हमेशा अपने पास रखें।



- ❖ अपने वाहन में अतिरिक्त रोशनी या किसी भी अन्य संशोधनों का उपयोग न करें जो कड़ाई से कानून द्वारा निषिद्ध है।

- ❖ शराब पीकर वाहन न चलाएं।



**“सुरक्षा व सावधानी बरतें”
“पश्चाताप न करें”**

यातायात न्यायालय, शिमला व किन्नौर द्वारा जारी।

एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस संदेश को अपने शहर को सुरक्षित बनाने के लिए अप्रेषित करें।